न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल के समक्ष

नंबर 6252992 पूर्व रिजर्विस्ट हरजिंदर सिंह – याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-उत्तरदाताओं

सी.डब्ल्यू.पी. 2006/13784

11 मार्च, 2008

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद. 226 – सेना नियम, 1954 – नियम 1.13 (3) III (iv) – सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 – विनियमन 155 – सेना में याचिकाकर्ता का नामांकन – नियमों और शर्तों के तहत सेवा याचिकाकर्ता को 20 वर्षों के लिए सेवा करनी होगी – सेवामुक्ति के लिए अनुरोध लगभग 17–1/2 वर्ष के बाद– सीएल. (बी) ऑफ विनियमन 155 को डिबार किया गया वे व्यक्ति जिन्हें 'उनके स्वयं के अनुरोध पर' सेना से छुट्टी दे दी गई थी, हालांकि वे नियोजन के नियमों और शर्तों को पूरा करने से पहले उनके पास अपने क्रेडिट-डिलीटेशन के लिए पेंशन के लिए योग्य सेवा थी 1 अप्रैल, 1968 के बाद सीएल (बी) से 'अपने स्वयं के अनुरोध पर' शब्द –क्या उत्तरदाताओं ने बाद में रिज़र्विस्ट पेंशन में गिरावट को उचित ठहराया याचिकाकर्ता ने अपेक्षित योग्यता सेवा प्रदान की थी –अभिनिर्णीत किया गया, नहीं –सेवा से मुक्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग नहीं की जा सकती इसका मतलब है कि पेंशन लाभ के लिए पूरी सेवा समाप्त हो गई है– याचिका अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं को रिज़र्विस्ट पेंशन तय करने और भुगतान करने का निर्देश दिया गया याचिकाकर्ता को.

अभिनिर्णीत किया गया कि पेंशन का अधिकार योग्यता सेवा के पूरा होने पर निर्भर करता है. एक व्यक्ति जो योग्यता सेवा पूरी करता है, वह हकदार है पेंशन का. चाहे नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी के स्वयं के अनुरोध पर सेवा से बर्खास्तगी के माध्यम से समाप्त हो या किसी भी स्थिति में इस्तीफा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियोक्ता कर्मचारी को लाभकारी योजना के लाभ से वंचित करने में सक्षम हो सकता है। यह कहना एक बात हो सकती है कि एक योजना के लिए पेंशन का भुगतान एक चरण में शुरू किया गया है जब संबंधित कर्मचारी अब सेवा में नहीं है और इसका हकदार नहीं होगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि यद्यपि वह, सभी प्रासंगिक समयों पर, सेवा में थे और केवल इसलिए लाभ से वंचित रहेगा क्योंकि उसने ऐसा किया है या तो सेवामुक्ति की मांग की या इस्तीफा दे दिया या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए। सेवा से छुट्टी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग का मतलब यह नहीं हो सकता है कि कि पेंशन लाभ के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्य से पूरी सेवा अवधि खो गई है।

(पैरा

7)

आगे अभिनिर्णीत किया गया कि, याचिकाकर्ता ने रिज़र्विस्ट पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उक्त लाभ उसके द्वारा अर्जित लाभ है। इस आधार पर उन्हें यह लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि योग्यता सेवा के अंत में उन्हें उनके स्वयं के अनुरोध पर सेना सेवा से मुक्त कर दिया गया था। यदि ऐसा होने दिया गया तो इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा अर्जित लाभ जब्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन लाभ के

उद्देश्य से अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान करने के बाद रिज़र्विस्ट पेंशन को अस्वीकार करना उत्तरदाताओं के लिए उचित नहीं था।

(पैरा 7)

नवदीप सिंह, याचिकाकर्ता के वकील.

नवीन चोपड़ा, उत्तरदाताओं के वकील.

मोहिंदर पाल, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में दावा रिजर्विस्ट पेंशन रिहाई करने के लिए है, जिसे सत्रह साल, दो सौ अठारह दिन की संयुक्त कलर और रिजर्व योग्यता सेवा प्रदान करने के बाद 17 जनवरी, 1967 को सेना सेवा से छुट्टी दे दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता 14 जून 1949 को सेना में भर्ती हुआ था, नामांकन की 'रंग-आरक्षित' प्रणाली के तहत, जो उस समय के दौरान प्रचलन में थी। इस प्रणाली के तहत, एक व्यक्ति को नियमित आधार पर सेना में सात साल तक सेवा करनी होती थी (जिसे कलर सर्विस के रूप में जाना जाता था) जिसके बाद आठ साल रिजर्व में बिताने होते थे, इस अवधि के दौरान वह व्यक्ति किसी भी नागरिक व्यवसाय में शामिल हो सकता था लेकिन वह आपातकाल की स्थिति में राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। जब याचिकाकर्ता सेना में सेवारत था, तो उसकी नियुक्ति की शर्तों को दस/दस प्रणाली (कलर में दस वर्ष और आरक्षित में दस वर्ष) में बदल दिया गया था। याचिकाकर्ता को चीन के साथ 1962 के युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965

के युद्ध के दौरान सक्रिय सेवा में वापस बुला लिया गया था। सत्रह साल दो सौ अठरह दिन का समय संयुक्त 'कलर-रिजर्व' सेवा मैं बिताने के बाद उन्हें 17 जनवरी, 1967 को सेना नियम, 1954 (संक्षेप में 'सेना नियम') के नियम 13(3) III (iv) के तहत उनके स्वयं के अनुरोध पर सेना सेवा से मुक्त कर दिया गया था।। याचिकाकर्ता को रिज़र्विस्ट पेंशन इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया था कि जब याचिकाकर्ता को 17 जनवरी, 1967 को अपने अनुरोध पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, तो सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 के विनियमन 155 में खंड (बी) हुआ करता था। (भाग- I) (संक्षेप में 'पेंशन विनियम' के लिए) जो यह प्रावधान करता था कि उन व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी जानी थी, जिन्हें उनकी नियोजन की शर्तों को पूरा करने से पहले उनके स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त कर दिया गया था, भले ही उन्होंने पेंशन के लिए पंद्रह वर्षों की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो इस खंड को बाद में 1 अप्रैल, 1968 से पेंशन विनियमन 155 से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता को 17 जनवरी, 1967 को अपने अनुरोध पर सेना सेवा से मुक्त कर दिया गया था, वह रिज़र्विस्ट पेंशन का हकदार नहीं था।

3. नोटिस के बाद, याचिकाकर्ता के दावे को उत्तरदाताओं द्वारा एक लिखित बयान दायर करके चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को 13 जून, 1969 तारीख से सेवा से बर्खास्त किया जाना था। हालाँकि, अत्यधिक दयालु आधार पर उनके स्वयं के अनुरोध पर नियोजन के नियमों और शर्तों को पूरा करने से पहले उन्हें सेना नियमों के नियम 13(3) III(iv)

के तहत 17 जनवरी, 1967 को सेना सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। पेंशन विनियमन 155 (बी) के अनुसार, जो उस समय प्रचलन में था जब उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई थी, रिज़र्विस्ट पेंशन उन लोगों को नहीं दी जानी थी, जिन्हें उनके नियमों और शर्तों को पूरा करने से पहले उनके स्वयं के अनुरोध पर सेना सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। 1 अप्रैल, 1968 से पेंशन विनियमन 155 (बी) से "अपने स्वयं के अनुरोध पर" शब्द हटा दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने 17 जनवरी, 1967 को अपने स्वयं के अनुरोध पर सेवा से छुट्टी दे दी थी, यानी पेंशन विनियमन में संशोधन से पहले 155(बी), वह आरक्षित पेंशन का हकदार नहीं था।

4. हमने श्री नवदीप सिंह, वकील, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हैं और श्री नवीन चोपड़ा, वकील, जो उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए हैं, को सुना है और मामले के रिकॉर्ड देखे हैं।

5. एकमात्र आधार जिस पर याचिकाकर्ता को रिज़र्विस्ट पेंशन देने से इनकार कर दिया गया है, वह यह है कि उसे 17 जनवरी, 1967 को अपने अनुरोध पर सेना से छुट्टी दे दी गई थी, जबकि उसकी नियोजन के नियमों और शर्तों के अनुसार, उसे 13 जून, 1969 से छुट्टी देनी थी। पेंशन विनियमन 155 का खंड (बी), जो उस समय प्रचलन में था, यह प्रावधान करता था कि आरक्षित पेंशन उन लोगों को नहीं दी जानी थी, जिन्हें नियोजन के नियमों और शर्तों को पूरा करने से पहले अपने स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त कर दिया गया था। भले ही उन्होंने पेंशन के लिए अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। पेंशन विनियमन 155 का यह खंड (बी) 1 अप्रैल, 1968 से हटा दिया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता को 17 जनवरी, 1967 को अपने अनुरोध

पर सेना सेवा से छुट्टी दे दी गई थी, यानी पेंशन विनियमन 155 से खंड (बी) को हटाए जाने से पहले। 1 अप्रैल, 1968 से वह रिजर्विस्ट पेंशन के हकदार नहीं थे।

6. पेंशन विनियमन 155 इस प्रकार है:-

"एक या आरक्षित व्यक्ति जो सेवा पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, उसे निर्धारित संयुक्त कलर और आरक्षित योग्यता सेवा में कम से कम 15 वर्ष पूरा करने पर एक सिपाही के लिए स्वीकार्य न्यूनतम पेंशन के 2/3 के बराबर आरक्षित पेंशन दी जा सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में 375 रुपये से कम नहीं।पेंशन प्रतिष्ठान में उसके स्थानांतरण पर या तो उसकी नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर या अस्थायी रूप से, कलर सेवा की अवधि की परवाह किए बिना।

7. याचिकाकर्ता को 14 जून, 1949 को सेना में भर्ती किया गया था और सत्रह साल, दो सौ अठारह दिन की संयुक्त कलर और रिजर्व योग्यता सेवा प्रदान करने के बाद, 17 जनवरी, 1967 को इस सेवा से मुक्त कर दिया गया था। ऊपर उद्धृत पेंशन विनियमन 155 के तहत, वह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आरक्षित पेंशन का हकदार है। मात्र तथ्य यह है कि 1 अप्रैल, 1968 से पहले, पेंशन विनियमन 155 में खंड (बी) था, जो उन व्यक्तियों को वंचित करता था, जिन्हें अपनी शर्तों को पूरा करने से पहले अपने स्वयं के अनुरोध पर सेना से छुट्टी दे दी गई थी, हालांकि उनके पास पेंशन के लिए क्वालीफाइंग सेवा थी, इसे याचिकाकर्ता को आरक्षित पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह सर्वविदित है कि पेंशन

का अधिकार क्वालीफाइंग सेवा के पूरा होने पर निर्भर करता है। क्वालीफाइंग सेवा पूरी करने वाला व्यक्ति पेंशन का हकदार है। चाहे नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता किसी के स्वयं के अनुरोध पर सेवा से बर्खास्तगी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या किसी भी स्थिति में इस्तीफे के माध्यम से समाप्त हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को लाभकारी योजना के लाभ से वंचित कर सकता है। यह कहना एक बात हो सकती है कि पेंशन भुगतान की योजना ऐसे चरण में शुरू की गई है जब संबंधित कर्मचारी अब सेवा में नहीं है और उसके लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि यद्यपि वह, सभी प्रासंगिक समयों पर, सेवा में था और केवल इसलिए लाभ से वंचित किया जाएगा क्योंकि उसने या तो सेवामुक्ति की मांग की है या इस्तीफा दे दिया है या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया है। सेवा से मुक्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग का मतलब यह नहीं हो सकता है कि पेंशन लाभ के लिए क्वालीफाइंग सेवा के उद्देश्य से पूरी सेवा अवधि खो गई है। याचिकाकर्ता ने रिज़र्विस्ट पेंशन प्राप्त करने के लिए क्वालीफाइंग सेवा पूरी कर ली है, उक्त लाभ उसके द्वारा अर्जित लाभ है। इस लाभ से उसे इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्वालीफाइंग सेवा के अंत में उसे अपने अनुरोध पर सेना सेवा से मुक्त कर दिया गया था। यदि ऐसा होने दिया गया तो इसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा अर्जित लाभ जब्त हो जाएगा। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन लाभ के उद्देश्य से अपेक्षित क्वालीफाइंग सेवा प्रदान करने के बाद रिज़र्विस्ट पेंशन को अस्वीकार करना उत्तरदाताओं के लिए उचित नहीं था। याचिकाकर्ता एक लड़का था जब वह 14 जून 1949 को सेना में भर्ती हुआ था। वह अब पचहत्तर वर्ष से अधिक का है, चंडीगढ़ के एक वृद्धाश्रम में रह रहा है और उसे रिजर्विस्ट पेंशन जारी करने में कोई भी देरी अक्षम्य है।

(8) तदनुसार, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और उत्तरदाताओं को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार याचिकाकर्ता की आरक्षित पेंशन तय करने और रिट याचिका दायर करने की तारीख यानी 30 अगस्त, 2006 से पहले तीन साल और दो महीने की अवधि के लिए पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान कर दें। यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो पूरे बकाया पर दो महीने की समाप्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Karandeep

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh